227

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पशुपालन, डेरी एवं मात्स्यिकी विभाग
प्लॉट 2 ए यूनिट नं. 12, दूसरी मंजिल,
न्यू फिशिंग हारबर, ससून डॉक, कुलाबा मुम्बई -05

Fishery Survey of India
Government of India
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Dept. of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries
Plot 2A. Unit No. 12, 2nd Floor, New Fishing Harbour
Sassoon Dock, Colaba, Mumbai – 400 005

फैक्स / Fax: +91-22-22186221 | दूरभाष / Phone: +91-22-22151865 / 66 | तेलेक्स / Telex: 11-85778 | तार / Cable: MEENA ई-मेल / E-Mail: dg-fsi-mah@nic.in / fsihqm@eth.net वेब साईट / Web Site:

F.N./पत्र सं.:- 22-2/2013 हिन्दी

Date/ दिनांकः 20 .04.2017

सेवा में,

निदेशक (राजभाषा)
भारत सरकार,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग,
कृषि भवन, कमरा नं- 557, नई दिल्ली-110 001.

विषयः राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 24.03.2017 को भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के मुख्यालय में हुई तिमाही समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त ।

महोदय,

मैं इस कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 24.03.2017 को हुई तिमाही समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ भेज रहा हूँ ।

भवदीय

श्रीमती 20/4/17

(एम.के.श्रीमती)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपिः

उप महानिदेशक, राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, केन्द्रीय सदन, छठी मंजिल, सी-विंग 601, सेक्टर 10, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुम्बई ।

226

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के मुख्यालय में 24.03.2017 को संपन्न तिमाही समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त.

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे ।

1.	श्री एम. के. फरेजिया, महानिदेशक (प्रभारी)	-	अध्यक्ष
2.	श्री रमनमूर्ति, तंत्र विश्लेषक	-	सदस्य
3.	डॉ. एम विनोदकुमार, व. मात्स्यिकी वैज्ञानिक	-	सदस्य
4.	श्री पी. चलपति राव, सांख्यिकीविद्	-	सदस्य
5.	श्री सी एच भास्कर, प्रोग्रामर	-	सदस्य
6.	श्री जे. जी. ओहोल, सहायक लेखा अधिकारी	-	सदस्य
7.	श्री ए वी के जोगी राजू, कार्यालय अधीक्षक	-	सदस्य
8.	श्री गोपाल वा. थुले, कार्यालय अधीक्षक	-	सदस्य
9.	श्रीमती मीरा वेल्लेन राजीव, क. अनुवादक	-	सदस्य/संयोजक

श्री महेश कुमार फरेजिया, महानिदेशक (प्रभारी) एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में तिमाही बैठक दोपहर 3.30 बजे शुरु हुई । उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया । बैठक में 31.12.2016 को समाप्त तिमाही की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा निम्नानुसार की ।

दिनांक 31.12.2016 को समाप्त तिमाही की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा ।

सभी अनुभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि धारा 3 (3) के अंतर्गत कम्प्यूटर अनुभाग से 06 कागज़ात केवल अंग्रेजी में जारी किए गए और स्थापना अनुभाग से भी कुछ कागज़ात केवल अंग्रेजी में जारी किए गए जो कि राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3 (3) का उल्लंघन है । अध्यक्ष महोदय ने सभी अनुभाग प्रमुख से कहा कि धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी कागज़ात व्दिभाषी में ही अनिवार्य रुप से जारी किया जाना चाहिए । यदि उसी दिन व्दिभाषी जारी नहीं किया गया तो दूसरे दिन उसका अनुवाद करके भेजा जाए । जारी किए गए दस्तावेजों की एक प्रति हिन्दी अनुभाग को भी उपलब्ध कराए जाए ताकि क. अनुवादक इसकी निगरानी की जा सके ।

कार्रवाईः (सभी अनुभाग एवं क. अनुवादक)

हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए गए । हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत पिछले प्रतिशत की तुलना में 'क' क्षेत्र में 2% कम हुआ है 'ख' क्षेत्र में 9% और 'ग' क्षेत्र में 6% कम हुआ है, लेकिन 'ग' क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर चुका है । सभी अनुभागों के हिन्दी पत्राचार की समीक्षा क्षेत्रवार करने पर 'क' क्षेत्र में सब से कम प्रतिशत योजना एवं विकास अनुभाग का -4% है, मात्स्यिकी अनुभाग का 17% है, स्थापना-।। का 48% है और लेखा अनुभाग का 49% है जबकि निर्धारित लक्ष्य 90% है । 'ख' क्षेत्र में सब से कम प्रतिशत कम्प्यूटर अनुभाग का -0% है, मात्स्यिकी अनुभाग का 8% और योजना एवं विकास अनुभाग का 9% है । 'ग' क्षेत्र में सब से कम प्रतिशत मात्स्यिकी अनुभाग का 8% है और योजना एवं विकास अनुभाग का 15% है ।

उक्त दोनों अनुभागों को हिन्दी पत्राचार बढ़ाने में अधिक प्रयास किया जाना चाहिए । इस तिमाही में टिप्पणी लेखन का प्रतिशत पिछली तिमाही की तुलना में 1% कम है । अनुभागवार टिप्पणी लेखन की समीक्षा करने पर टिप्पणी लेखन में सब से कम प्रतिशत योजना एवं विकास अनुभाग का 18% है, कम्प्यूटर अनुभाग का 20% है । योजना एवं विकास अनुभाग एवं मात्स्यिकी अनुभाग के प्रमुख ने कहा कि इस तिमाही में अधिक से अधिक पत्राचार हिन्दी में करने का प्रयास किया जा रहा है और टिप्पणी भी हिन्दी में लिखी जा रही है ।

बैठक में समिति के एक सदस्य ने सुझाव दिया कि कार्यशाला एक ही विषय पर रखी जाए और कार्यशाला में प्रशिक्षण देने हेतु हर अनुभाग से केवल एक या दो कर्मचारी को ही नामांकित किया जाए । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कार्यशाला सिर्फ 1 ही घंटा रखी जाए । अध्यक्ष महोदय ने कार्यशाला में नामांकित कर्मचारी पूरा समय उपस्थित नहीं होने पर उनको ज्ञापन देने का सुझाव दिया ।

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कारवाई

1. **हिन्दी कार्यशाला आयोजित की जाए ।**
   इस तिमाही में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई ।

2. **बेस कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया जाए**
   कोच्चिन एवं गोवा बेस के राजभाषा निरीक्षण हो चुका है । अगले सप्ताह में विशाखपट्टणम बेस का राजभाषा निरीक्षण भी प्रस्तावित है।

3. **डिस्प्ले बोर्ड को अद्यतन करने हेतु कार्रवाई की जाए ।**
   यह कार्य नहीं हुआ है । अध्यक्ष महोदय ने स्थानीय पार्टी से नया बोर्ड खरीदने का सुझाव दिया ।
   (कार्रवाईः हिन्दी अनुभाग)

4. **वेबसाइट हिन्दी में भी अपडेट किया जाए ।**
   हिन्दी में अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि अपलोड करने के लिए सामग्री कुछ अनुभागों से केवल अंग्रेजी में मिल रही है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यदि सामग्री हिन्दी में नहीं मिल रही है तो उसे अनूदित करवाया जाए ।
   (कार्रवाईः कम्प्यूटर एवं हिन्दी अनुभाग)

राजभाषा के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सुझावः

1. मुख्यालय की गृहपत्रिका मत्स्य किरण-अंक 7 के प्रकाशनार्थ सामग्री मंगाई जाए ।
   (कार्रवाईः सभी अनुभाग)

2. कार्यालय के सभी नामपट्ट, सूचनापट, आदि व्दिभाषी बनाया जाए ।
   (कार्रवाईः जी.सी. अनुभाग)

बैठक सांय 5.00 बजे संपन्न हुई ।

दिनांक 24.03.2017 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में उपस्थित अध्यक्ष एवं सदस्यों की सूची

****

क्र. सं.	नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री एम. के. फरेजिया, महानिदेशक (प्रभारी)	
2.	श्री रमनमूर्ति, तंत्र विश्लेषक	
3.	डॉ. एम विनोदकुमार, व. मात्स्यिकी वैज्ञानिक	
4.	श्री पी. चलपति राव, सांख्यिकीविद्	
5.	श्री सी. एच. भास्कर, प्रोग्रामर	
6.	श्री जे. जी. ओहोल, सहायक लेखा अधिकारी	
7.	श्री ए वी के जोगी राजू, कार्यालय अधीक्षक	
8.	श्री गोपाल वा. थुले, कार्यालय अधीक्षक	
9.	श्रीमती मीरा वेल्लेन राजीव, क. हिन्दी अनुवादक	